न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
श्रीमति बापु जौ० बनाम सोहन वगैरह
किस्म - पुनःपत्र
नं० - 8/2015

15.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बेंरा में पेश हुई। पक्षकारान उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सी.पी.सी. पुनः नम्बर पर लिए जाने सम्बधित मूल राजस्व वाद पत्र बाबत प्रस्तुत किया है। राजस्व मूल वाद संख्या 193/2011 दिनांक 20.09.2011 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी/वादी की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने आशय अनुतोष से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ है। जिसमें वकुलाय मय पक्षकारान फरिकेन द्वारा इस मौजूदा प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने व खारिजशुदा वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने आशय की सहमति व्यक्त करते हुए प्रमाणिकता के तौर पर आदेशिका पर राजीनामा स्वरूप हस्ताक्षर किये गये, व उभयपक्षो ने केम्प कोर्ट न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र संख्या 193/2011 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश कराना फरमावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण व उपस्थित पक्षकारान द्वारा किये गये सहमति अनुरोध एंव पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव परीक्षण किया गया। चूंकि उभयपक्षो द्वारा इस मौजूदा प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने व खारिजशुदा वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने आशय की सहमति शिविर के दौरान दी गई होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी के वादपत्र संख्या 193/2011 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आज्ञा पारित की जाती है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा